कम्प्यूटर परिपत्र सं० - 2021028.

पत्र संख्या/370/लम्बित रिफण्ड मैनुअल प्रार्थना पत्र निस्तारण/ 2020–21/ वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनॉक: 11 नवम्बर, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: भारतीय सैन्य बलों की कैन्टीन को RFD-10A के माध्यम से देय एस0जी0एस0टी0 रिफण्ड की कॉमन पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्था न होने के कारण उक्त श्रेणी के रिफण्ड दावों का मैनुअल निस्तारण किए जाने की व्यवस्था दिनांक 21.12.2020 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

जी0एस0टी0 कॉमन पोर्टल पर ऑनलाईन रिफण्ड माड्यूल उपलब्ध न होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य के कोषागारों से एस0जी0एस0टी0 रिफण्ड के आहरण हेतु मैनुअल व्यवस्था शासनादेश संख्या–क0नि0–4–219/11–2018/300(5)/18 दिनांक 23 फरवरी, 2018 तथा शुद्धिपत्र संख्या–क0नि0–4–282/11–2018/300(5)/18 दिनांक 21 मार्च, 2018 से लागू की गयी थी। इन शासनादेशें से मैनुअल रिफण्ड की समय–सीमा दिनांक 30.06.2018 तक प्रभावी की गयी थी जिसे शासनादेश संख्या–क0नि0–4–785/11–2018–300(5)/18 दिनांक 20.07.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक, शासनादेश संख्या– क0नि0–4–08/11–2019–300(5)/18 दिनांक 05.02.2019 से दिनांक 30.06.2019 तक शासनादेश संख्या–क0नि0–4–617/11–2019–300(5)/18 दिनांक 24.06.2019 से दिनांक 30.09.2019 से शासनादेश संख्या–क0नि0–4–894/11–2019/300(5)/18 दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 से दिनांक 31.12.2019 तक तथा शासनादेश संख्या– रा0क0–4–304/11–2020–300(5)/18 दिनांक 21 मई, 2020 से अंतिम रूप से दिनांक 30 जून, 2020 तक बढ़ायी गयी।

2. जी0एस0टी0 कर प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय सैन्य बलों की कैन्टीन को 50 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 एवं 50 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 रिफण्ड RFD-10A के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था है, किन्तु इस श्रेणी का रिफण्ड ऑनलाईन किए जाने की व्यवस्था अभी डेवलप नहीं हो पायी है। उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 30 जून, 2020 के पश्चात् प्रदेश के कोषागारों से एस0जी0एस0टी0 रिफण्ड आहरित होने की व्यवस्था न होने के कारण दिनांक 30 जून, 2020 के पश्चात् इस श्रेणी के रिफण्ड आवेदनों का निस्तारण संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके संबंध में फील्ड से अनेक प्रत्यावेदन प्राप्त हुए।

3. उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा शासनादेश संख्या– रा0क0–4–640/11–2020–300(5)/18 दिनांक 4 नवम्बर, 2020 **(प्रति संलग्न)** से भारतीय सैन्य बलों की कैन्टीन को 50 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 एवं 50 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 रिफण्ड किए जाने के लिए मैनुअल रिफण्ड की पक्रिया दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाये जाने तथा उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी रिफण्ड जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर ऑनलाईन व्यवस्था के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत निर्देश दिए जाते हैं कि कृपया शासनादेश दिनांक 4 नवम्बर, 2020 से सभी अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों, संबंधित कोषाधिकारियों एवं भारतीय सैन्य बलों की कैन्टीन के अधिकारियों को अवगत कराते हुए, उक्त श्रेणी के सभी लम्बित रिफण्ड दावों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0 पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, आगरा जोन आगरा को उनके पत्र संख्या– 641 दिनांक 01 सितम्बर, 2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) एवं आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मेरठ को उनके पत्र संख्या– 45 दिनांक 12.06.2020 एवं पत्र संख्या– 682 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ज्वाइण्ट कमिश्नर (जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

DC (GST)
JC

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग–4
संख्या–रा0क0–4–640/11–2020–300(5)/18
लखनऊ::दिनांक 04 नवम्बर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

वाणिज्य कर विभाग में जी0एस0टी0एन0 के पोर्टल पर ऑन लाइन रिफण्ड माड्यूल उपलब्ध हो जाने तक मैनुअल रिफण्ड की प्रक्रिया निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या–क0नि0–4–219/11–2018–300(5)/2018, दिनाँक 23.02.2018, तथा शुद्धि पत्र संख्या–क0नि0–4–282/11–2018/300(5)/18 दिनाँक 21.03.2018 निर्गत किया गया है।

2– शासनादेश दिनांक 23.02.2018 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–(3) में मैनुअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक 30.06.2018 तक के लिए लागू किया गया था। शासनादेश दिनांक 21.05.2020 द्वारा इस प्रक्रिया को दिनांक 30.06.2020 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया था, जिसे सम्यक विचारेपरान्त भारतीय सैन्य बलों की कैन्टीन को 50 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 एवं 50 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 रिफण्ड किए जाने के लिए मैनुअल रिफण्ड की प्रक्रिया दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाये जाने तथा उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी रिफण्ड जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– उक्त शासनादेश दिनाँक 23.02.2018 व शुद्धि पत्र दिनांक 21.03.2018 की शेष अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0संख्या–एफ0ए0–1–92/दस–2020, दिनाँक–29 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

अरविन्द कुमार
संयुक्त सचिव।

संं0–रा0क0–4–640(1)/11–2020, तद्‌दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3–समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर।
4–एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5–वित्त (लेखा) अनुभाग–1
6–गार्ड बुक।

JC (GST)
कृते कमिश्नर
06.11.2020

1791

164
9-11-2020

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग–4
संख्या–रा0क0–4–640 / 11–2020–300(5) / 18
लखनऊ::दिनांक04 नवम्बर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

वाणिज्य कर विभाग में जी0एस0टी0एन0 के पोर्टल पर ऑन लाइन रिफण्ड माड्यूल उपलब्ध हो जाने तक मैनुअल रिफण्ड की प्रक्रिया निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या–क0नि0–4–219 / 11–2018–300(5) / 2018, दिनाँक 23.02.2018, तथा शुद्धि पत्र संख्या–क0नि0–4–282 / 11–2018 / 300(5) / 18 दिनाँक 21.03.2018 निर्गत किया गया है।

2– शासनादेश दिनांक 23.02.2018 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–(3) में मैनुअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक 30.06.2018 तक के लिए लागू किया गया था। शासनादेश दिनांक 21.05.2020 द्वारा इस प्रक्रिया को दिनांक 30.06.2020 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया था, जिसे सम्यक विचारेपरान्त भारतीय सैन्य बलों की कैन्टीन को 50 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 एवं 50 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 रिफण्ड किए जाने के लिए मैनुअल रिफण्ड की प्रक्रिया दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाये जाने तथा उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी रिफण्ड जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– उक्त शासनादेश दिनाँक 23.02.2018 व शुद्धि पत्र दिनांक 21.03.2018 की शेष अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0संख्या–एफ0ए0–1–92 / दस–2020, दिनाँक–29 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

अरविन्द कुमार
संयुक्त सचिव।

सं0–रा0क0–4–640(1) / 11–2020, तद्‌दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, प्रयागराज।
2–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3–समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर।
4–एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5–वित्त (लेखा) अनुभाग–1
6–गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त सचिव।